(7)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

गुरूनाम सिंह बनाम प्रीतम कुमारी वगै0

किस्म मुकदमा:– **कन्टेम्पट प्रार्थना–पत्र** मिसल नं0 **2023/25**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
12/06/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील अप्रार्थी उपस्थित। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस प्रार्थना पत्र कंटेम्पट पर सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजी जिसमें ख.नं. 759/1 रकबा 17 बीघा 04 बिस्वा जिसके वर्तमान ख.नं. 1470 रकबा 0.16 हेक्टर, ख.नं. 1478 रकबा 1.20 हेक्टर, ख.नं. 1479 रकबा 1.28 हेक्टर कुल 2.64 हेक्टर वाके भीया तह. के. पाटन जिला बून्दी में स्थित है। जो प्रार्थी क्रम 1 गुरूनाम सिंह के नाम खाते में सम्वत् 2062 से 2065 में दर्ज थी। इसी प्रकार ख.नं. 759/2 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा भूमि जिसके हाल ख.नं. 1460 रकबा 2.33 हेक्टर ख.नं. 1457/1556 रकबा 0.31 हेक्टर कुल रकबा 2.64 हेक्टर वाके ग्राम भीया तह. के. पाटन जिला बून्दी (राज.) में स्थित है। जो प्रार्थी क्रम 2 गुरूदेव सिंह के नाम खाते में सम्वत् 2062 से 2064 में खाते में दर्ज थी। जिसको प्रार्थी क्रम –1 व 2 ने जर्ये विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आराजी अप्रार्थी क्रम 3 व 4 को दिनांक 29.12.1995 को बेचान कर दी गई थी। जिसका विक्रय पत्र उपंपजीयक अधिकारी के. पाटन के कार्यालय में तस्दीक करवाया गया था। उक्त आराजी के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय में एक अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के. पाटन जिला बून्दी के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। जिसका बउनवान सुखदेव बनाम गुरूनाम सिंह अपील सं. 100/04 जिसका माननीय न्यायालय द्वारा एक पक्षीय निर्णय दिनांक 04.07.2205 को किया गया था। जिसके आधार पर सुखदे सिंह उर्फ सुक्खा व हरजिन्दर	

सिंह उर्फ जिन्दू पिसरान अमर सिंह, जाति जटसिक्ख ने तहसीलदार के. पाटन के पास आवेदन देकर उक्त आराजी पर नामान्तरकरण 738 दिनांक 13.06.2008 के आधार पर खाते में अपना नाम दर्ज करवा लिया गया था। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर माननीय न्यायालय में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पैश किया गया। जिसको माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.12. 2008 को स्वीकार करते हुए उक्त एक पक्षीय अपील का निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2005 को अपास्त करते हुए उक्त प्रकरण को पुनः दर्ज कर सुनवाई किये जाने का आदेश पारित किया गया था। जिसकी अपील सं. 2014/150 जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाही करते हुए उक्त अपील का निर्णय दिनांक 02.09.2022 को किया गया जिसमें अपील खारिज की गई। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र धारा 144 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया था। जिसका माननीय न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को सुनते हुए दिनांक 15.12.2022 को आदेश पारित किया गया। जिसमें प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है प्रस्तुत प्रकरण में वर्तमान में वाद ग्रस्त आराजी सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा व हरजिन्द्र सिंह उर्फ जिन्दा पुत्र अमर सिंह का नाम जमाबन्दी में दर्ज है जिसे विलोपित कर जिस नामानन्तरण से अप्रार्थीगण का नाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ। उससे पूर्व की स्थिति बहाल की जावे तथा जो नाम पहले से जमाबन्दी में दर्ज थे। उसे बहाल किया जावे यदि किसी बैंक से कोई ऋण आदि अप्रार्थी सुखदेव सिंह या हरजेन्द्र सिंह अथवा उनके वारिसान ने प्राप्त किया है तो वह उनके द्वारा चुकाया जायेगा। प्रार्थी क्रम 3 व 4 माननीय न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय दिनांक 02.09.2022 को किया गया था। उसकी प्रमाणित नकल के साथ अप्रार्थी क्रम –1 तहसीलदार के. पाटन के नाम प्रार्थना पत्र उक्त भूमि का नामान्तकरण खोलकर प्रार्थी क्रम 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत् का दिनांक 14.09.2022 को दिया गया था। जिसको अप्रार्थी क्रम –1 ने अप्रार्थी क्रम–2 को जाँच कर उचित कार्यवाही करने हेतु दिया गया। परन्तु अप्रार्थी क्रम –2 पटवारी स्वाती कुमार गुप्ता ने 15 दिन बाद प्रार्थीगण से कहा की तहसीलदार साहब ने यह कहा गया कि धारा 144 सी.पी.सी. का आदेश लाना पडेगा तभी नामान्तरण खोलकर प्रार्थी क्रम 1 व 2 का

नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो पायेगा। प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। जिसका निस्तारण दिनांक 15.12.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा कर दिया गया था। जिसकी प्रमाणित नकल प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 11.01.2023 को अप्रार्थी क्रम 1 श्रीमान तहसीलदार साहब को पैश की गई। जिसको अप्रार्थी क्रम–2 पटवारी स्वाती कुमारी गुप्ता के पास भेजा गया। जिन्होने प्रार्थीगण को 5 दिनो तक रोजाना चक्कर कटवाते रहे और आश्वासन देते रहे कि आपका काम कर रहे है। परन्तु पटवारी स्वाती कुमारी ने दिनांक 16.01.2023 को प्रार्थीगण से उक्त आराजी पर नामानन्तरण खोलकर पूर्व खातेदारी बहाल करने से मनाकर दिया गया। जब प्रार्थीगण ने पटवारी साहिबा से कारण पूछा तो उन्होने कहा कि तहसीलदार साहब ने मनाकर दिया गया है। जब प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 तहसीलदार साहब से मिले तो उन्होने कहा कि न्यायालय ने हमारे नाम से कोई आदेश नही दिया गया। हम ऐसे आदेश को नही मानते है और प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर पूर्व की खातेदारी जो प्रार्थी क्रम 1 व 2 के नाम संवत 2062 से 2064 में था। उसको बहाल करने से मनाकर दिया गया तथा प्रार्थीगण ने जो प्रार्थना , पत्र प्रस्तुत किये गये थे। उनकी रसीद भी देने से मना कर दिया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.2022 की अवहेलना की गई है। इसलिए अप्रार्थीगण को न्यायालय के आदेश की अवहेलना किये जाने के सम्बन्ध में उनके विरूद्ध कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट की कार्यवाही करते हुए दण्डित किया जाना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थीगण को आदेश दिया जाये कि माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक 15.12.2022 की पालना करते हुए उक्त आराजी पर प्रार्थी क्रम 1 व 2 का नाम खाते में संवत 2062 से 2064 में था। उसको बहाल करते हुए उनका नाम खाते में दर्ज किया जाये तथा वर्तमान में उक्त आराजी पर खातेदार बलजीत कौर, शरणवीर सिंह, सिमरनजीत सिंह पिसरान हरजिन्दरसिंह तथा सुखदेव सिंह उर्फ सुखा पुत्र अमरसिंह के नाम नामानन्तरण संख्या 738 दिनांक 13.06.2008 से खातेदारी आई है। उस नामानन्तरण को विलोपित करते हुए उनका नाम खाते से हटाया जाये। अन्त में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध

(10)

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.2022 की अवहेलना एवं विभागीय कार्यवाही कर उन्हे दण्डित किए जाने तथा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.2022 की पालना करवाते हुए प्रार्थी क्रम 1 व 2 का उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करते हुए पूर्व की खातेदारी बहाल किये जाने का आदेश प्रदान करने एवं अन्य कोई न्यायोचित सहायता माननीय न्यायालय प्रार्थीगण के पक्ष में उचित समझे वह भी प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी कम 1 ने अपनी बहस में जवाब कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दाहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में गलत एवं मनगढ़न्त कथन अंकित किए गए है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण के द्वारा एक प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष न्यायालय श्रीमान के निर्णय दिनांक 02.09.2022 के अनुसरण में कार्यवाही किये जाने बाबत प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रार्थना–पत्र इस टिप्पणी के साथ पटवारी हल्का को प्रेषित किया गया था कि जांच कर उचित कार्यवाही करें। उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न नहीं होने के कारण दिनांक 16.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी को न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया परन्तु न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण उक्त सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों की जाचं नहीं की जा सकी तथा जांच रिपोर्ट के अभाव में अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.09.2022 कि किसी प्रकार से अवमानना नहीं की गई। दिनांक 11.01.2023 को अथवा दीगर तिथि को प्रार्थीगण के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2022 की पालना हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष आवेदन पेश नहीं किया है। माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2022 की जानकारी अप्रार्थी संख्या 1 को माननीय न्यायालय से हस्तगत प्रकरण के नोटिस प्राप्त होने पर हुई है किन्तु इसी दौरान अप्रार्थी संख्या 1 का स्थानान्तरण हो जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2022 की पालना किया जाना संभव नहीं होने के कारण पालना नहीं की गई। इस प्रकार अप्रार्थीया के द्वारा

माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 15.12.2022 की अवमानना नहीं की गई है तथा प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अवमानना की कार्यवाही सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 94 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट खारिज किए जाने का निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 14.09.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र माननीय तहसीलदार साहब के.पाटन के कार्यालय से जर्ये डाक इस निर्देश के साथ दिनांक 16.09.2022 को अप्रार्थी संख्या 2 को प्राप्त हुआ कि जाचं कर उचित कार्यवाही करें। उक्त प्रार्थना–पत्र के साथ न्यायालय के निर्णय की प्रति संलग्न नहीं होने के कारण अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा प्रार्थीगण को न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.09.2022 की प्रति प्रस्तुत करे हेतु निर्देशित किया गया परन्तु प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पटवार मण्डल भीया में पदस्थापन दिनांक 28.11.2022 तक निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने से प्रार्थना–पत्र की जाचं कर अंग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी, इस प्रकार माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.09.2022 की अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा अवमानना नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 दिनांक 02.01.2023 से दिनांक 20.01.2023 तक पटवार मण्डल भीया में पटवारी के पद पर पुनः पदस्थापित हुई, परन्तु उक्त पदस्थापन अवधि के दौरान निर्णय दिनांक 02.09.2022 एवं निर्णय दिनांक 15.12.2022 की पालना हेतु अप्रार्थी संख्या 2 को कार्यालय तहसीलदार के.पाटन से जर्ये डाक कोई प्रार्थना–पत्र प्राप्त नही हुआ है इस कारण दिनांक 16.01.2023 को अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नामान्तरकरण खोलकर पूर्व खातेदारी बहाल करने के लिये मना करने के आरोप कतई गलत एवं तथ्यहीन है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.2022 की अवहेलना नहीं की गई है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत कन्टेम्प्ट प्रार्थना–पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 94 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते कन्टेम्पट ऑफ कोर्ट खारिज किए जाने का निवेदन किया।

(18)

हमने उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया व अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र तथा अप्रार्थी कम 1 तथ अप्रार्थी कम 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र व पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रार्थीगण का कथन है कि ग्राम भीया तहसील केशोरायपाटन की आराजी खसरा संख्या 759/1, 1470, 1478, 1479 कुल किता 4 कुल रकबा 2.64 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 गुरूनाम सिंह के खाते में दर्ज थी तथा खसरा नम्बर 759/2, 1460, 1457/1556 कुल किता 3 रकबा 2.64 हैक्टेयर वाके ग्राम भीयां तहसील केशोरायपाटन की भूमि प्रार्थी संख्या 2 गुरूदेव सिंह के खाते में दर्ज थी। उक्त आराजीयात को प्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा प्रार्थी संख्या 3 व 4 को दिनांक 29.12.1995 को बैचान किया जा चुका है। अपने कथनों के समर्थन में प्रार्थीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 29.12.1995 की फोटोप्रतियॉ पेश की गई है जिनके अवलोकन से उक्त आराजीयात प्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा खरीद किया जाना प्रकट होता है। अतः प्रार्थीगण का यह कथन सही है कि उक्त वर्णित आराजी अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की खरीदशुदा भूमि है। प्रार्थीगण का आगे कथन है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बधं में वादीगण सुखदेव एवं हरजिन्दर की ओर से एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के.पाटन द्वारा दिनांक 06.07.2004 को वाद खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2004 की अपील(अपील संख्या 10/04) वादीगण द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गई जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 04.07.2005 को एकपक्षीय निर्णय पारित किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया गया। निर्णय दिनांक 04.07.2005 की पालना में वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि जर्ये नामान्तरकरण संख्या 738 दिनांक 13.06.2008 स्वयं के नाम खातेदारी में दर्ज करवा ली गई। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा की एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2005 को अपास्त करने बाबत न्यायालय हाजा में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा स्वीकार किया जाकर दिनांक 19.12.2008 को एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 04.07.2005 को अपास्त किया जाकर अपील पुनः दर्ज

किए जाने का निर्णय पारित किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर नये नम्बर अपील संख्या 2014/150 कायम किए गए तथा दिनांक 02.09.2022 को अपील खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया। प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 15.12.2022 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व स्थिति कायम किए जाने का आदेश पारित किया गया। हमने न्यायालय हाजा द्वारा अपील संख्या 2014/150 बउनवान सुखदेव बनाम गुरूनाम सिंह में पारित निर्णय दिनांक 02.09.2022 एवं अपील संख्या 2016/431 बउनवान गुरूनाम सिंह बनाम सुखदेव सिंह में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2022 का अवलोकन किया। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.09.2022 में वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2004 बहाल रखे जाने का आदेश अंकित है तथा न्यायालय हाजा की अपील संख्या 2016/431 में पारित निर्णय दिनांक 15.12.2022 में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा व हरजिन्द्र सिंह उर्फ जिन्दा पुत्र अमर सिंह के अंकन को विलोपित किया जाकर जिस नामान्तरकरण से अप्रार्थीगण का नाम जमाबंदी में दर्ज हुआ उससे पूर्व की स्थिति बहाल किए जाने का आदेश अंकित है। प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थी कम 3 व 4 द्वारा निर्णय दिनांक 02.09.2022 की प्रमाणित प्रति के साथ अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार के.पाटन के नाम उक्त भूमि का नामान्तरकरण खोलकर प्रार्थी संख्या 1 व 2 का नाम दर्ज करने बाबत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.09.2022 को पेश किया गया था। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र पर अप्रार्थी संख्या 2 को जांच कर उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत की गई है जिस पर दिनांक 14.09.2022 अंकित है। प्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. का आदेश प्रस्तुत करने के पश्चात ही राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व स्थिति बहाल

.....2

करने हेतु नामान्तरकरण खोले जाना संभव होना बताया है। हमारे मत में धारा 144 सी.पी.सी. के अन्तर्गत आदेश पारित होने पर एवं उच्चतर न्यायालय से स्थगन नहीं होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड की पूर्वस्थिति की बहाल किया जाना कूननन उचित है। प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा द्वारा धारा 144 सी.पी.सी. में पारित आदेश दिनांक 15.12.2022 की प्रमाणित प्रति दिनांक 11.01.2023 को अप्रार्थी क्रम 1 को पेश होने तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को प्रेषित किए जाने का कथन किया है। इसके सम्बंध में अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय के निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.09.2022 में अंकित कथनों की जांच अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नहीं की जा सकी तथा जांच रिपोर्ट के अभाव में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कार्यवाही नहीं की जा सकी। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्पट प्रार्थना–पत्र की पैरा संख्या 5 में अंकित कथन के कुछ अंश इस प्रकार है। "प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय में धारा 144 सी.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा था। जिसका निस्तारण दिनांक 15. 12.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा कर दिया गया था। जिसकी प्रमाणित नकल प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 11.01.2023 को अप्रार्थी क्रम 1 श्रीमान तहसीलदार साहब को पैश की गई। जिसको अप्रार्थी क्रम–2 पटवारी स्वाती कुमारी गुप्ता के पास भेजा गया। जिन्होने प्रार्थीगण को 5 दिनो तक रोजाना चक्कर कटवाते रहे और आश्वासन देते रहे कि आपका काम कर रहे है। परन्तु पटवारी स्वाती कुमारी ने दिनांक 16.01.2023 को प्रार्थीगण से उक्त आराजी पर नामानन्तरण खोलकर पूर्व खातेदारी बहाल करने से मना कर दिया गया। जब प्रार्थीगण ने पटवारी साहिबा से कारण पूछा तो उन्होने कहा कि तहसीलदार साहब ने मनाकर दिया गया है। जब प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 तहसीलदार साहब से मिले तो उन्होने कहा कि न्यायालय ने हमारे नाम से कोई आदेश नही दिया गया। हम ऐसे आदेश को नही मानते है और प्रार्थीगण की उक्त आराजी पर पूर्व की खातेदारी जो प्रार्थी क्रम 1 व 2 के नाम संवत 2062 से 2064 में था। उसको बहाल करने से मनाकर दिया गया तथा प्रार्थीगण ने जो प्रार्थना , पत्र प्रस्तुत किये गये थे। उनकी रसीद भी देने से मना कर दिया गया। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 ने माननीय

न्यायालय के आदेश दिनांक 15.12.2022 की अवहेलना की गई है।" अतः प्रार्थीगण के कथनानुसार प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 की प्रमाणित नकल प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 11.01.2023 को अप्रार्थी क्रम 1 को पेश की गई है। परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया है जिससे प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 के समक्ष दिनांक 11.01.2023 को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 की प्रमाणित प्रति पेश किया जाना प्रमाणित होता हो। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा भी आदेश दिनांक 15.12.2022 की प्रति पेश किए जाने का खण्डन किया गया है। अतः प्रार्थीगण आदेश दिनांक 15.12.2022 की प्रति को अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत करने के कथन को प्रमाणित करनें में असफल रहे है। हमारे मत में आदेश दिनांक 15. 12.2022 के संज्ञान में आये बिना प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 14.09.2022 के सम्बंध में कार्यवाही किया जाना संभव नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 की जानकारी नहीं होने के कारण न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 की पालना अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा नहीं की जा सकी। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में प्रार्थी/अधिवक्ता अथवा प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय हाजा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण को अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित कथनों को ठोस दस्तावेज/साक्ष्यों द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है। हमारे मत में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 की अवहेलना किए जाने के तथ्यों को प्रमाणित करने में प्रार्थीगण पूर्णतया असफल रहे है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 94 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट स्वीकार योग्य नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से न्यायालय हाजा में प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र संख्या 2024/2 एवं आदेशिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी संख्या

1 द्वारा उक्त रिव्यु प्रार्थना–पत्र न्यायालय हाजा में दिनांक 05.10.2023 को प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 से राज्य सरकार के किसी प्रकार के हित प्रभावित नहीं होते है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त रिव्यु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 के विरूद्ध रिव्यु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। हमारे मत में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत रिव्यु प्रार्थना–पत्र से प्रार्थीगण के हित प्रभावित होने की संभावना थी। हालांकि उक्त रिव्यु प्रार्थना–पत्र न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 16.10.2024 द्वारा खारिज किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा किया गया उक्त कृत्य गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को व्यक्तिगत रूप से आदेशित किया जाता है कि वह भविष्य में किसी पक्षकार के विरूद्ध इस प्रकार का कृत्य नहीं करें ।

जहां तक न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 की पालना में वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की पूर्व स्थिति बहाल किए जाने का प्रश्न है, हमारे मत में यदि न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 एवं वादग्रस्त आराजी पर किसी भी उच्चतर स्तर के न्यायालय से स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार के.पाटन द्वारा प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का नियमानुसार निस्तारण करते हुए कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। अतः तहसीलदार केशवरायपाटन को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 की पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कन्टेम्पट प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। तहसीलदार केशोरायपाटन को आदेशित किया जाता है कि वह न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 एवं वादग्रस्त आराजी पर उच्चतर न्यायालय से किसी प्रकार का स्थगन नहीं होने के तथ्य की भली–भांति जांच किए जाने के उपरांत स्थगन नहीं होने की स्थिति में न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.12.2022 की नियमानुसार

(17)

पालना किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो व नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 12.06.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा